तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.11.18	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित ~~वकलाय कार्य~~ पीठासीन अधिकारी की मीटिंग में/भ्रमण/ अवकाश पर गये हुए। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक 20.12.18 को प्रस्तुत हो।	
20.12.18	वकलाय उप० वकील वादी। वकील वादी ने प्रतिवादी नं 4 की ओर से वकालातनामा व जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली है और पूर्व में दिनांक 7.5.18 को पेश किया पक्षकारान ने पूर्व में दि० 19.2.18 को राजीनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली है। वकील वादी की तरफ से आदेश 18 R 4 CPC का शपथ पत्र पेश किया जिस पर वादी के प्रति. परीक्षण के दस्तावेज प्रदर्श करवाये, प्रतिवादी शैतानराम, का शपथ पत्र पेश किया जो शा० मिसल है पुरूषाराम पुत्र जीवनराम के बयान लिये गये जो शा० पत्रावली है। 13.4.19 को पेश हो न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र.) ...	मौजाराम [अंगूठा निशान] शैतानराम
4.1.19	वकलाय उप० पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 10.1.19 को पेश हो न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र.) ...	
10.1.19	वकलाय उपस्थित। पत्रावली में बहस सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन वादी का वाद स्वीकार कर वाद डिक्री किया जाता है निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली में डिक्री पर्चा जारी है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र.) ...	

P.T.O

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म जारी
1.3.19	वकील वादी उप० वादी वकील के आवेदन अधीन धारा 151 व 152 CPC को पेश किया। नकल वकील प्रतिवादी को दी गई है, प्रतिवादी वकील ने प्रा पत्र पर No objection किया। वादी वकील ने प्रा पत्र में अंकित किया की मौजा [illegible] बाहर ख. नं. 481 की दुरुस्ती चाही गई थी परन्तु निर्णय दि. 10.1.19 में लिपिकीय त्रुटि से ख. नं. 481 के स्थान पर 481 अंकित हो गया। अतः निर्णय एवं डिक्री पर्चा में ख. नं. 481 के स्थान पर 481 दुरुस्त करावे। पत्रावली का अवलोकन किया। वादी के प्रार्थना पत्र एवं संलग्न [illegible] से ख. नं. 481 [illegible] नकल [illegible] से ख. नं. 481 [illegible] अतः वादी वकील का आवेदन पत्र अधीन धारा 151 व 152 CPC को स्वीकार किया जाता है। निर्णय एवं डिक्री पर्चा दि. 10.1.19 में ख. नं. 481 के स्थान पर 481 दुरुस्त किया जाता है। इसी अनुसार निर्णय एवं डिक्री पर्चा में दुरुस्त किया जाकर बाद तामील [illegible] दाखिल दफ्तर की जावे।	

सहायक कलक्टर (मु.)
पावटा

न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) नागौर

बेइजलास श्री बृजेन्द्र मीना आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः— 60/2017

वादीः—

भींयाराम पुत्र भेराराम जाति जाट निवासी घोडारण तहसील व जिला नागौर, राज0

बनाम

प्रतिवादीगणः—

1. शैतानराम पुत्र भेराराम
2. मगी पुत्री भेराराम

जति जाट निवासीगण घोडारण तहसील व जिला नागौर।

3. रूपाराम पुत्र धुड़ाराम
4. कानाराम पुत्र धुड़ाराम
5. तिलाराम पुत्र धुड़ाराम
6. भगाराम पुत्र धुड़ाराम
7. सोनी पुत्री पुसाराम
8. मोहनराम पुत्र पुसाराम

जातियान जाट निवासीगण रोहिणी तहसील व जिला नागौर।

9. देवाराम पुत्र हुकमाराम
10. सुखाराम पुत्र हुकमाराम
11. केसर पुत्री हुकमाराम

जातियान जाट निवासीगण इन्दास तहसील व जिला नागौर।

12. तहसीलदार नागौर।

निर्णय दिनांकः— 10.1.2019

वाद वास्ते घोषणा खातेदारी, बंटवाड़ा व रेकर्ड दुरूस्ती

वकील वादीः— भूराराम बिकुनियां
वकील प्रतिवादीः— मामराज गुणपाल

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

वादी निम्नलिखित वाद पत्र प्रस्तुत करता है–

1. यह है कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 11 एक ही परिवार के सदस्य है जो स्व. आशारामजी के दो पुत्र स्व. गंगाराम तथा स्व. भेराराम के वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 11 वारीसान है तथा स्व. गंगाराम व उनकी पत्नी का नाऔलाद देहान्त हो चुका है। स्व. गंगाराम की मृत्यु दिनांक 25.10.1999 को व उनकी पत्नी बाली की मृत्यु दिनांक 10.03.1987 को हो चुकी है। स्व. गंगाराम के पिदे वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 11 ही विधिक वारीस व उतराधिकारी हुऐ, रहे व है।
2. यह है कि तहसील नागौर के गांव बुकर्मसोता की कांकड में हाल खेत खसरा नं. 371 रकबा 52 बीघा 16 बिस्वा खसरा नं. 405 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा व खसरा न. 421 रकबा 82 बीघा 10 बिस्वा कुल रकबा 141 बीघा 15 बिस्वा की खातेदारी स्व. गंगाराम वल्द आसुराम जाट के रहते चले आये हैं अब उपरोक्त खेताय वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 11 के कब्जे काश्त में रहते चले आये हैं। उपरोक्त खेताय पुश्तेनी खेताय है जिनमे पक्षकारन का जन्म से ही हक, हिस्सा निहित हैं।
3. यह है कि स्च. गंगाराम की मृत्यु दिनांक 25.10.1999 को व उनकी पत्नी बाली देवी की मृत्यु दिनांक 03.10.1987 को नाऔलाद हो चुकी हैं जिनका मृत्यु प्रमाण पत्र व वारीस प्रमाण पत्र साथ पेश है। स्व. गंगाराम की मृत्यु के पश्चात उसके विधिक वारीसन उनके नजदीकी रिश्तेदार प्रथम श्रेणी के उतराधिकारी के रूप में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 11 ही हैं। जिनका वादग्रस्त खेताय पर कब्जा काश्त स्व. गंगाराम के साथ सह काश्तकार के रूप में रहता चला आया था क्योंकि गंगाराम के कोई संतान नहीं होने के कारण स्वं.गंगाराम, भेराराम के सम्मिलित परिवार में रहता था इसलिए उनकी सेवा चाकरी वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 11 ही करते आये थे प्रतिवादी संख्या 2 मगी देवी प्रतिवादीगण संख्या 3 से 6 की माता गोमी व प्रतिवादीगण संख्या 7 व 8 की माता मीरा व प्रतिवादीगण संख्या 9 से 11 की माता चेनी ने अपने बंट में चल सम्पति वगेरा रखे इसलिए वादग्रस्त खेताय में अपना हिस्सा नहीं रखा व प्रतिवादीगण संख्या 2 से 11 ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा वादी व दीगर प्रतिवादीग्रस्त संख्या 1 के हक में मौखिक रूप से तर्क कर दिया। जिससे मौके पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का ही कब्जा काश्त रहता चला आया है व इसी अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड 1/2–1/2 के अनुसार भौतिक बंटवाडा करवा कर वादी अपना 1/2 हिस्सा अलग खातेदारी में दर्ज करवाने का अधिकारी हैं जिस हेतु यह वाद पेश है।
4. यह हैं कि उक्त खातेदारी गंगाराम व उनकी पत्नी का देहान्त हो चुका है इसके बावजूद गंगाराम का नाम रेकर्ड में दर्ज होने व तर्क अनुसार एवं मौके पर काबिज अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से खातेदारी दर्ज नहीं होने व उनके मध्य बंटवाडा होकर अलग अलग खातेदारी दर्ज नहीं होने से वादी को सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलने व अपनी खातेदारी की भूमि के सम्बन्ध में कई प्रकार की कानूनी अड़चने पैदा होने से भी यह वाद वास्ते रेकर्ड दुरूस्ती, घोषणा एवं विभाजन हेतु पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी का वाद दर्ज रजि. किया गया प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब किये गये प्रतिवादीगण संख्या 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 की तरफ से दिनांक 19.02.2018 को इकबाली जवाब दावा पेश किया गया एवं उसी दिन उक्त

पक्षकारन ने राजीनामा प्रस्तुत किया एवं पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त रहने से राजीनामा तस्दीक नहीं किया जा सका प्रतिवादीगण की तरफ से दिनांक 16.03.2018 को इकबाली जवाब प्रस्तुत किया गया, वादी ने वाद के समर्थन में पी.डब्लू. 1 भींयाराम एवं डी.डब्लू. 1 शेतानराम एवं डी.डब्लू. 2 पुरखाराम के बयान करवाये गये तथा दस्वावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 से 11 ए तक प्रस्तुत किए।

बहस वकुलाय सनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया दौराने बहस वादी वकील ने बताया कि पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य हैं प्रतिवादीगण ने इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर वादी के वाद को स्वीकार किया है। गवाहों ने भी अपने बयान में वादी के वाद की पुष्टि की हैं। मौजा बुकर्मसोता के खसरा नम्बर 371 रकबा 52 बीघा 16 बिस्वा, खसरा न. 405 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा, खसरा न. 421 रकबा 82 बीघा 10 बिस्वा, कुल रकबा 141 बीघा 15 बिस्वा नकल खतौनी प्रदर्श 1 गंगाराम वल्द आसुराम जाति जाट की खातेदारी में दर्ज साबित है। स्व. आसाराम के 2 पुत्र भेराराम व गंगाराम हुए थे। गंगाराम की मृत्यु 25.10.1999 एवं उनकी पत्नी बाली की मृत्यु 03.10.1987 को स्वर्गवास हो गया एवं गंगाराम एवं उनकी पत्नी नाऔलाद थे। गंगाराम के प्रथम वारीसान वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से 11 है। मुतदाविया खेताय पर वादी एवं प्रतिवादीगण का कब्जा रहता चला आया है। इसकी ताईद गवाहों से होती है। स्व. गंगाराम के लाऔलाद फौत हो जाने से उसका भाई वादी एवं अन्य प्रतिवादीगण स्व. गंगाराम के प्रथम श्रेणी के उतराधिकारी होने से वादी का वाद स्वीकार योग्य हैं। पक्षकारान ने राजीनाम प्रस्तुत किया इसमें मुतदाविया खेताय में 1/2 हिस्सा वादी भीयाराम का व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी स. 1 शैतानराम के हिस्से में रखे हैं तथा बकाया प्रतिवादी स. 2 से 11 ने वादी व प्रतिवादी सं. 1 के हक में मौखिक तर्क कर देने से उक्त खेतों में बकाया प्रतिवादीगण का कोई हक हिस्सा नहीं रखा है।

उपरोक्त विवेचन से वादी का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता हैं।

मौजा बुकर्मसोता तह. नागौर में स्थित हाल खेत खसरा न. 371 रकबा 52 बीघा 16 बिस्वा खसरा न. 405 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा, खसरा न. 481 रकबा 82 बीघा 10 बिस्वा, कुल रकबा 141 बीघा 15 बिस्वा में 1/2 हिस्सा वादी भींयाराम का व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 शैतानराम के तन्हा बंट कब्जा काश्त व खातेदारी में घोषित किया जाता है। उक्त खेताय में खातेदार स्व. गंगाराम पुत्र आसुराम का नाम रेकर्ड से हटाया जाता है।

इसी अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो नियमानुसार स्टाम्प डयूटी प्रस्तुत कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार नागौर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर(मु0)
नागौर

1-3-19
मौजा बुकर्मसोता रकबा न. 481 की जगह 421 दुरुस्त किया जाता है

सहायक कलक्टर (मु0)
नागौर

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

डिगरी बमूकद्दमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत व इजलाश बै इजलास श्री बृजेन्दु मीना R.A.S मुकाम नागौर ACM(Hq) नागौर

भीयांराम पुत्र भेराराम जाट निवासी घोडारण तह० नागौर जिला नागौर बनाम (1) शैतानराम पुत्र भेराराम (2) मगी पुत्री भेराराम जाति जाट निवासी घोडारण तह० नागौर

दावा राजस्व वाद मुकद्दमा 60 / सन् 2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू

व हाजरी मिनजानिब मुद्दई व

मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि मौजा बुकनसोता तह० नागौर में स्थित हाल खेत खसरा नं 37 रकबा 52 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं 405 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं 481 रकबा 82 बीघा 10 बिस्वा कुल रकबा 141 बीघा 15 बिस्वा मे 1/2 हिस्सा वादी भियाराम का व 1/2 हिस्सा

लीज मुबलिक बाबत P.T.O

खर्चा इस मुकद्द में मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक को अदा करें ।

बसीब्त तेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10 माह 1 सन् 2019

दस्तखत

ओहदा सहायक कलक्टर (मु.) नागौर P.T.O

मुद्दई	रुपया	पैसा	मुद्दयला	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह साबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			बाबत इजराय हुक्म नामा		
बाबत इजराय हुक्मीजान			मुतफरिक		
मुतफर्रिक			मिजान		

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा यह दो फरीकन को चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए ।

प्रतिवादीगण

③ रूपाराम पुत्र छुडाराम
④ कानाराम पुत्र छुडाराम
⑤ तिलाराम पुत्र छुडाराम
⑥ मंगाराम पुत्र छुडाराम
⑦ सोनी पुत्री पुसाराम
⑧ मोहनराम पुत्र पुसाराम जाति जाट
निवासीगण रोहिणी
⑨ देवाराम पुत्र हुकमाराम
⑩ सुखाराम पुत्र हुकमाराम
⑪ केसर पुत्री हुकमाराम जाति जाट
निवासीगण ईन्दास तह· जिला नागौर
⑫ तहसीलदार नागौर

प्रतिवादी सं 1 शैतानराम के तन्हा कब्जा काश्त व खातेदारी मे घोषित किया जाता है। उक्त खेतान मे खातेदार स्व· गंगाराम पुत्र आसुराम का नाम रेकर्ड से हटाया जाता है।

सहायक कलक्टर (मु॰)
नागौर

1·3·19 मोत्ती बुकसीनीताल के खं·न· 48 की जगह पर डीकार किया जाता है।

सहायक कलक्टर (मु॰)
नागौर